दावा अन्तर्गत धारा 88, 49 आर.टी.ए. बाबत घोषित एवं विनियम डिक्री

दिनांक :– 27/1/26

वादीगण की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की **धारा 88, 49(क)** के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार खाता विभाजन कर विनियम की घोषणा की जाती है कि –

क. वादी हनुमानप्रसाद को प्राप्त कृषि भूमिः– चक 40 एनडीआर प.नं. 80/350 किला 12, 13 कुल 0.506 हैक.

ख. प्रतिवादी सं. 1 ईमरती देवी को प्राप्त कृषि भूमि– चक 40 एनडीआर प.नं. 80/350 किला 23/3 तादादी 0.0255 हैक. व चक 40 एनडीआर के खाता सं. 2 के प.नं. 80/350 के किला नं. 19/2, 20/2, 21 ता 23 की कुल 0.910 हैक. मे से 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जिसमे से वादी का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 27/1/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:21:16 IST
Reason: SelfAttested